न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल,**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1018-पीबीआर/13 विरूद्ध आदेश दिनांक 5-3-2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण क्रमांक 373/11-12/अपील.

अंगूरी बाई पत्नी उत्तम सिंह पुत्री हलका राम
कृषक ग्राम सिमरिया
निवासी अम्बेडकर कॉलौनी, डबरा ग्वालियर .....आवेदिका

विरुद्ध

1. पुक्खो बाई पत्नी माया राम
2. गीता बाई पत्नी देवी सिंह
   निवासीगण सिमरियाताल
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....अनावेदकगण
3. प्रेमलता पुत्री हलका राम पत्नी सुरेश चन्द्र
4. रामस्वरूप पुत्र हलका राम
   निवासीगण सिमरियाताल
   तहसील डबरा जिला ग्वालियर .....तरतीवी पक्षकार

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 19/6/18 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 5-3-2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सिमरिया ताल स्थित सर्वे क्रमांक 2006/3, 2008 एवं 2007 कुल रकबा 3.710 हेक्टेयर के पूर्व भूमिस्वामी हल्का पुत्र भोटा के

फौत होने पर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी ने नामान्तरण पंजी क्रमांक 12 दिनांक 6-7-99 द्वारा उभय पक्ष की सहमति के आधार पर नामान्तरण एवं बटवारा स्वीकृत किया गया । उक्त आदेश के विरूद्ध आवेदिका द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 12-7-2002 को आदेश पारित कर सहायक बन्दोबस्त अधिकारी का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया कि मृतक हल्का पुत्र भोटा की कृषि भूमि का नामान्तरण हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की धारा 8 में वर्णित प्रथम वर्ग के उत्तराधिकारियों के नाम समान भाग पर किया जावे । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 4 रामस्वरूप द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 27-2-2003 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 4 द्वारा इस न्यायालय के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 837-पीबीआर/2003 प्रस्तुत किये जाने पर इस न्यायालय द्वारा दिनांक 25-5-2010 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त का आदेश दिनांक 27-2-2003 एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश 12-7-2002 स्थिर रखते हुए प्रकरण विधिवत निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया गया । प्रकरण प्राप्त होने पर तहसीलदार, डबरा द्वारा प्रकरण क्रमांक 21/10-11/अ-6 में दिनांक 27-4-11 को आदेश पारित कर पक्षकारों की उदासीनता के कारण प्रश्नाधीन भूमि पूर्ववत मूल भूमिस्वामी हल्का पुत्र भोटा के नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये गये । तत्पश्चात तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 57/2001-02/अ-6 में दिनांक 13-3-2003 को आदेश पारित कर मृतक हल्का के समस्त वारिसान आवेदिका अंगूरी एवं अनावेदक क्रमांक 3 प्रेमलता एवं अनावेदक क्रमांक 4 रामस्वरूप के हक में नामान्तरण स्वीकृत किया गया । तदोपरान्त आवेदिका अंगूरी बाई द्वारा अपने हिस्से की सर्वे क्रमांक 2006/3 रकबा 2.926 हेक्टेयर में से 0.975 हेक्टेयर, सर्वे क्रमांक 2008 रकबा 0.732 हेक्टेयर में से 0.244 हेक्टेयर एवं सर्वे क्रमांक 2007/2532 रकबा 0.052 हेक्टेयर में से 0.017 हेक्टेयर भूमि अनावेदिका क्रमांक 1 पुक्खो बाई भाग 818/1236 व अनावेदिका क्रमांक 2 गीता बाई को भाग 418/1236 पंजीकृत दिनांक विक्रय पत्र दिनांक 9-7-2003 के माध्यम से विक्रय किया गया, जिसके आधार पर सार्वजनिक संपदा समिति ग्राम सभा सिमरियाताल के प्रस्ताव/ठहराव क्रमांक 29 आदेश दिनांक 29-8-03 द्वारा अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 का

नामांतरण स्वीकृत किया गया । ग्राम सभा के आदेश के विरूद्ध अनावेदक क्रमांक 4 रामस्वरूप द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 89/2003-04/अपील दर्ज कर दिनांक 13-9-10 को आदेश पारित कर ग्राम सभा का प्रस्ताव/ठहराव दिनांक 29-8-03 निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि उभय पक्ष को विधिवत सुनवाई का पर्याप्त अवसर देते हुए गुण-दोष के आधार पर न्यायोचित आदेश पारित किया जाये । अनुविभागीय अधिकारी के पालन में तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 32/10-11/अ-6 दर्ज कर दिनांक 25-10-11 को आदेश पारित कर पूर्व में पारित नामान्तरण आदेश यथावत रखा गया । तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, डबरा के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण क्रमांक 7/2011-12 में दिनांक 26-3-2012 को आदेश पारित कर विक्रय पत्र के आधार पर अनावेदिका क्रमांक 1 व 2 का नामान्तरण स्वीकार किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश से व्यथित होकर आवेदिका द्वारा आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 5-3-2013 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26-3-2012 यथावत रख्ते हुए अपील निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त का आदेश सर्वथा विधि विधान के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि मूल अनावेदकगण, जो कि आवेदिका की भाभियां हैं, उनके द्वारा छल-कपटपूर्वक बिना प्रतिफल अदा किये तथाकथित बंधकनामा निष्पादित करा लिया गया है, जिसके सम्बन्ध में दीवानी न्यायालय में स्वत्व सम्बन्धी मुकदमा विचाराधीन है । अतः जब तक दीवानी न्यायालय से प्रकरण का निराकरण नहीं हो जाता, तब तक प्रश्नाधीन भूमि पर मूल अनावेदकगण को कोई स्वत्व व हक प्राप्त नहीं होते हैं । तर्क में यह भी कहा गया कि प्रश्नाधीन भूमियां पूर्व में हल्का राम के नाम सह भूमिस्वामी के रूप में दर्ज थीं, जिनका बटवारा नहीं हुआ था । इस आधार पर कहा गया कि जब तक संयुक्त भूमिस्वामियों का बटवारा नहीं हो जाता, तब तक संयुक्त खाते की भूमि का विक्रय किया जाना वर्जित है । यह तर्क भी प्रस्तुत

किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में व्यवहार वाद लंबित होने का उल्लेख किया गया है, फिर भी उनके द्वारा अभिलेख का परिशीलन किए बिना एवं प्रस्तुत न्याय दृष्टान्तों पर बिना विचार किए आवेदिका की अपील निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है ।

तर्कों के समर्थन में 1997 (2) विधि भास्कर 134, 154, 1975 आर.एन. 260, 2010 आर.एन. 346 एवं 1999 आर.एन. 298 के न्याय दृष्टान्त प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 लगायत 4 पूर्व से एकपक्षीय हैं ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय के पूर्व आदेश दिनांक 13-3-2003 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदिका को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त होने के उपरांत आवेदिका द्वारा प्रश्नाधीन भूमि अनावेदकगण को विक्रय की गई है, जिसके आधार पर ग्राम सभा द्वारा अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकृत किया गया । ग्राम सभा के आदेश के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 13-9-2010 को आदेश पारित कर नामान्तरण आदेश निरस्त कर प्रकरण गुण-दोष के आधार पर निराकरण हेतु तहसील न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया । तहसील न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में निष्पादित विक्रय पत्र पर बिना विचार किये पूर्व आदेश दिनांक 13-3-2003 यथावत रखा गया । तहसील न्यायालय ने आदेश में यह तो उल्लेख किया है कि पंजीकृत विक्रय पत्र की वैधता की जांच करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं है, इसके उपरान्त भी उसके द्वारा विक्रय पत्र को अनदेखा किया गया है, जो कि विधि अनुकूल नहीं है । इस सम्बन्ध में 2011 आर.एन. 193 रज्जो (श्रीमती) तथा अन्य विरूद्ध श्रीमती पुष्पलता तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

> ''धारा 109 तथा 110–रजिस्ट्रीकृत विक्रय विलेख--राजस्व न्यायालय ऐसे विक्रय विलेख पर नामांतरण करने के लिए आबद्ध है–राजस्व न्यायालयों द्वारा विक्रय विलेख की वैधता की जांच नहीं की जा सकती ।''

उक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त कर, अनावेदकगण का नामान्तरण स्वीकार करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है, जिसे यथावत रखने में अपर आयुक्त द्वारा भी कोई भूल नहीं की गई है । इस प्रकार दोनों अधीनस्थ

न्यायालयों द्वारा समवर्ती निष्कर्ष निकाले गये हैं । इस सम्बन्ध में 1982 आर.एन. 36 रामाधार विरूद्ध आनन्द स्वरूप तथा अन्य में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50-समवर्ती निष्कर्ष-अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों में कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं-पुनरीक्षण में हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए ।"

उपरोक्त न्याय दृष्टान्त के प्रकाश में दोनों अपीलीय न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधिसंगत हैं, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं होने से स्थिर रखे जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित दिनांक 5-3-2013 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मधयप्रदेश
ग्वालियर